उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ–22601

संख्या–295–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2010–19–प्र0सु0/2004 T.C दिनॉक 27 अप्रैल, 10.

1– प्रबन्ध निदेशक,
मध्यॉचल/पूर्वांचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।

2– प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

विषय :–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–772/चौबीस–पी–3–2010 दिनॉक 25.03 2010 एव उसके साथ सलग्न पत्र संख्या–273/43–2–2010 दिनॉक–09.03.2010 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऐसे कई आवेदन पत्र प्राप्त होते है। जिसमें कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (A.C.R) की प्रतियॉ प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन से सम्बन्धित मामले में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–10/20/2006 आई0आर0, दिनॉक 21.09.2007 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ञ) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नही है। उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के द्वारा लोक प्राधिकारी को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह किसी अधिकारी/कर्मचारी को अथवा किसी अन्य आवेदक को करें अथवा न करें क्योंकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) द्वारा संरक्षित है और यह एक गोपनीय दस्तावेज है जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम, 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है।

क्रमश.....

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने नियन्त्रणाधीन समस्त इकाइयों से सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का नैष्ठिक अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

26/5/2010

(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)

संख्या–295–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2010 तद्दिनॉक 27.5.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
4 निजी सचिव, सम्बद्ध अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5 अपर सचिव (का0प्र0–01/02/03/अराजपत्रित), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6 अपीलीय अधिकारी/जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन मुख्यालय, लखनऊ।
7 समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/स्तर–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

26/5/2010

(अशोक कुमार गुप्ता)
उपसचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)

सं० 707 अपर सचिव
दिनांक 29/03/10 क्रम संख्या 1552A

संख्या: 772/चौबीस–पी–3–2010

प्रेषक:

देवी प्रसाद
अनु सचिव, जनसूचना अधिकारी
उ0प्र0 शासन।

02440

सेवा में,

(1) अपर प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

(2) कार्यवाहक निदेशक,
विद्युत सुरक्षा निदेशालय,
गोमतीनगर, लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2010

ऊर्जा अनुभाग– 3

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को सम्बोधित सुश्री सुनीता सिंह, सचिव प्रशासनिक सुधार अनु–2 के पत्र संख्या–273/43–2–2010 दिनांक 9 मार्च, 2010 की छायाप्रति संलग्नकर भेजते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(देवी प्रसाद)
अनु सचिव, जनसूचना अधिकारी

संख्या: 772(1)/चौबीस–पी–3–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी को उपरोक्त दिनांक 09.03.2010 की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(देवी प्रसाद)
अनु सचिव, जनसूचना अधिकारी

RO(R)/RO
30/3/10

Dir (P&A)

1255/AMD/10
27/3/10

26/3/10
(एस० के० सरना)
निजी सचिव
प्रबंध निदेशक

(सी० गुप्ता)

उपसचिव (कार्य)
संयुक्त सचिव (कार्य)
29/3/10

30/3/2010

सं0 273 /43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग –2 लखनऊ:: दिनॉक 09 मार्च 2010

विषय:– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऐसे कई आवेदन पत्र प्राप्त होते है। जिनमें कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (A.C.R.) की प्रतियॉ प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन से सम्बन्धित मामले में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–10 / 20 / 2006 आई0आर0, दिनांक 21 सितम्बर, 2007 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है:–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ञ) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है जो व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित हो और उसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्य कलाप अथवा हित से कोई सम्बन्ध नहीं हो, अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता को अवांछित रूप से भंग करें, बशर्ते जन सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी जो भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटन को [illegible] ठहराता है। किसी भी ए.सी.आर. में रिपोर्ट किए [illegible] अधिकारी के चरित्र, [illegible] और अन्य गुणों से सम्बन्धित जानकारी होती है जिसके [illegible] अन्य व्यक्ति को [illegible] से व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित हमला होता है। [illegible] नियम की धारा 8 [illegible] धारा (2) के द्वारा लोक प्राधिकारी को यह विशेषाधिकार [illegible] गया है कि वह किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन सम्बद्ध अधिकारी को अथवा किसी अन्य आवेदक को करे अथवा न करें।

लोक प्राधिकारी किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने के लिए वाध्य नहीं है क्योंकि वार्षिक गोपनीय

रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ज) द्वारा संरक्षित है और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम, 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है। किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिए। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी का चयन सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।